तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4903/2004/टोंक** किशोर बनाम नानूलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी।

अधिवक्ता अप्रार्थी एवं अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

——

निर्णय

दिनांकः— 16.03.2026

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा प्रकरण संख्या 2/98 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

निगरानी पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के प्रार्थी वादी की साक्ष्य बंद कर दी है इस कारण निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायहित में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना अत्यधिक आवश्यक है अन्यथा वादी अपना दावा सिद्ध करने में असफल हो जाएगा, जिससे वादी/प्रार्थी को अपूरर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2004 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी/वादी को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का समुचित अवसर प्रदान किया जावें।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/अप्रार्थी के पेश किया। जिसे विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया। तत्पश्चात् प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.08.2004 को निम्न आदेश पारित किए कि —**"बकुलाय फरीकेन उप0। पूर्व में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य बंद करने के आदेश दिए**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4903/2004/टेंक** किशोर बनाम नानूलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गए थे। नियत तिथि को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए इससे यह जाहिर होता है कि वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ले रहा है। प्रकरण वर्ष 1998 का है और साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.05.2000 से अवसर दिया जा रहा है। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। वास्ते बहस दिनांक 03.09.2004 को पेश हो।"जिसके विरूद्ध यह निगरानी मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

अधी0न्याया0 के इस निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है क्योंकि यदि निगराकार/वादी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाएगा तो उसके अधिकारों का हमेशा–हमेशा के लिए अवसान हो जाएगा। न्याय निर्णय करना न्यायालयों का कर्तव्य है परंतु पक्षकारों का साक्ष्य का अवसर बंद कर देने से वे अपना पक्ष रखने में असमर्थ हो जाते है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद पत्र में उपस्थित पक्षकारों को जवाब व सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है तथा विधि की यह मंशा रही है कि जहां पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहां तकनीकी बिन्दु को गौण रखते हुए प्रकरण का निस्तारण उभयपक्षों की सुनवाई व सबूत के उपरांत गुणावगुण पर किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत होगा। प्रकरण में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में देरी की गई है परंतु प्रकरण की स्थिति को देखते हुए हम उसे अपने बचाव पक्ष को रखने से महरूम करना न्यायोचित नहीं मानते हैं। अतः हम न्यायहित में अधी0न्याया0 के समक्ष लंबित वाद में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक अंतिम अवसर प्रदान करना न्यायोचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–08–2004 निरस्त किया जाता है । अधी0न्याया0 को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रार्थी को प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।

पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य